प्रेस नोट दिनाँक- 29.11.2023

(1). आज दिनाँक 29.11.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(2). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 29.11.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर/लाइन्स श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के तहत सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी

रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(3). पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राजेश कुमार चौरसिया चौकी परिक्रमा मार्ग खोही तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1.उमेशचन्द्र सोनी उर्फ बबलू सोनी पुत्र स्व0 संतराम सोनी निवासी सोनारन पुरवा शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2. सतीशरण उर्फ दद्दू पुत्र संतोष पटेल निवासी बरमपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 3. भोला पुत्र गिरजा प्रसाद धोबी 4. देवदत्त पुत्र देवराज पटेल निवासी कल्ला शिवरामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 5. बाबूलाल उर्फ रत्ती पुत्र स्व0 बूसी धोबी निवासी बरमपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 2890/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामातलाशी से 610/- रुपये बरामद हुये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

1. मालफड़ 2890/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते
2. जामातलाशी से 610/- रुपये

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री राजेश कुमार चौरसिया थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी शिवम मिश्रा
3. आरक्षी रविन्द्र कुमार
4. आरक्षी आशीष सिंह
5. आरक्षी राहुल वर्मा

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी सीतापुर उ0नि0 श्री श्यामदेव सिंह तथा उनके हमराही आरक्षी अतुल परिहार द्वारा मु0अ0सं0 435/14 धारा 332/504/353 भादवि0 व 3(1)10

एससी/एसटी एक्ट के वारंटी अभियुक्त मोहनलाल उर्फ छोटू पुत्र रामखेलावन आरख निवासी चकमाली थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीम वृंदा शुक्ला के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 01 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता से कुल 20 लीटर कच्ची शराब बरामद की।

(i). उ0नि0 श्री त्रिलोकीनाथ मिश्रा थाना पहाड़ी तथा हमराही आरक्षी विनोद कुमार व आरक्षी कृष्ण कुमार द्वारा अभियुक्त रामभजन पुत्र रामभवन निवासी भंभौर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम व उ0नि0 गंगाचरण प्रजापति थाना मऊ तथा उनके हमराही मुख्य आरक्षी जुबेर अली व आबकारी महिला आरक्षी सुमित्रा द्वारा अभियुक्ता बदमिया पत्नी रामप्यारे निवासी बलहौरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध थाना मऊ में धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(6). पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री मेवालाल मौर्य चौकी सीतापुर तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 728/2023 धारा 498ए/304बी भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के वांछित अभियुक्ता/अभियुक्त 1. श्रीमती माया देवी पत्नी गंगाराम 2. गंगाराम पुत्र स्व0 रामअवतार 3.जितेन्द्र कुमार पुत्र गंगाराम निवासीगण रामायण मेला के पास सीतापुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री मेवा लाल मौर्य चौकी सीतापुर
2. आरक्षी मंगला
3. महिला आरक्षी रेखा वर्मा

(7). यातायात माह के परिपेक्ष्य में आज दिनाँक-28.11.2023 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला के निर्देशन में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री चक्रपाणि त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी यातायात श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में

प्रभारी यातायात निरीक्षक श्री मनोज कुमार एवं यातायात पुलिस द्वारा माध्यमिक विद्यालय शिवरामपुर में छात्राओं को यातायात नियमों से जागरूक किया गया एवं छात्राओं से कहा गया कि अपने परिजनों से यातायात नियमों का पालन करने हेतु बताए तथा 02 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग एवं चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। नशे व नीद में यदि हो तो वाहन न चलाए,वाहन चलाते समय फोन का प्रयोग न करे,तेज रफ्तार में वाहन न चलाए निर्धारित गतिसीमा में ही वाहन को चलाए, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न चलाए 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात अपना ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य बनवाये। साइकिल व वाहन से स्कूल आते समय हमेशा अपने बायीं ओर चले एवं सावधानीपूर्वक वाहन चलाए।

(8). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार आरक्षी अमरेन्द्र प्रताप सिंह तथा मॉनीटरिंग सेल प्रभारी श्री जय प्रकाश उपाध्याय तथा उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री सुशील सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश/पाक्सो जनपद चित्रकूट श्री विनीत नारायण पाण्डेय द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 703/2017 धारा 452.376,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त राजेश पुत्र जगन यादव निवासी मरजादपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 10 वर्ष का कठोर कारावास और 22 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 10.07.2017 को थाना कोतवाली कर्वी में पीडिता द्वारा सूचना दी गयी थी कि उपरोक्त अभियुक्त द्वारा पीडिता के घर में घुसकर जबरजस्ती बलात्कार किया एवं मना करने पर गाली-गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी। सूचना के आधार पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 703/2017 धारा 452.376,504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त राजेश पुत्र जगन यादव उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। विवेचना तत्कालीन निरीक्षक श्रीमती विजयलक्ष्मी द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी थी। दिनाँक 18.08.2017 को आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(9). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे #OperationConviction के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से

अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद चित्रकूट श्रीमती वृन्दा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री राम सिंह एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी महेश्वरीदीन तथा मॉनीटरिंग सेल प्रभारी श्री जय प्रकाश उपाध्याय तथा उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट/अपर सत्र न्यायधीश श्री नीरज श्रीवास्तव द्वारा थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 99/2015 धारा 147/148/149/307 भादवि0 व 12/14 डी.ए.ए. एक्ट के आरोपी अभियुक्त भइयन उर्फ खरदूषण उर्फ टाइगर पुत्र हीरालाल निवासी नेउरा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 05 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 19.10.2015 को अभियुक्त भईयन उर्फ खरदूषण उपरोक्त द्वारा गैंग के साथियों के साथ मिलकर पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 99/2015 धारा 147/148/149/307 भादवि व 12/14 डी.ए.ए. एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना तत्कालीन निरीक्षक धर्मेन्द्र यादव द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी एवं दिनाँक 26.04.2017 को आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं दिनाँक 31.03.2017 को आरोपी के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया था।

(10). माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्रीमती रीता सिंह एवं पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं शासकीय अधिवक्ता श्री सदन मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी न्यू चित्रकूट श्री सुशील कुमार वर्मा द्वारा थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 446/2009 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त 1. छैला पुत्र गौरी पासी 2. मोनू पुत्र भारत पासी 3. रिंकू पटेल पुत्र सुरेन्द्र सिंह पटेल निवासीगण दुबे का तालाब थाना नैनी जनपद प्रयागराज को 02-02 वर्ष का कारावास व 5000-5000 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 25.03.2009 थाना तत्कालीन थानाध्यक्ष मानिकपुर श्री बृजभूषण दुबे द्वारा अभियुक्त 1.छैला 2.मोनू 3. रिंकू पेटल उपरोक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 446/2009 धारा 02/03 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत कराया गया था। विवेचक निरीक्षक श्री हरिशरण सिंह यादव द्वारा दिनाँक 09.07.2009 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

(11). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती वृंदा शुक्ला द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं एवं पैरोकार आरक्षी अबरार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी श्री बृजमोहन द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री सूर्यकान्त धर दुबे द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 398/2020 धारा 504/506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. चन्द्रप्रकाश उर्फ टिकू शर्मा पुत्र प्रीतम शर्मा 2. प्रीतम शर्मा पुत्र शिवबालक शर्मा निवासीगण बबेरू थाना बबेरू जनपद बांदा 1500-1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 398/2020 को वादी श्री उत्कर्ष कुमार द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी थी कि चन्द्रप्रकाश उर्फ टिकू शर्मा तथा उसके पिता द्वारा गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी थी। इस सूचना पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 398/2020 धारा 504/506 भादवि0 बनाम चन्द्रप्रकाश उर्फ टिकू शर्मा आदि 02 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 राकेश कुमार यादव थाना कोतवाली कर्वी द्वारा की गयी थी एवं आरोपियों के विरुद्ध दिनाँक 19.01.2021 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।